न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
05.05..2025	मु0न0:–31/2019 उनवान:– हरिमोहन बनाम रामजीलाल पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान वकील उपस्थित, उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 24 कुल रकवा 4.28 है0 मे सायल न0 1 व 2 का 1/15 हिस्सा सायल न0 3 का 1/5 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मूल वाद के प्रतिवादी न0 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 3 ता 5 का 2/15, तथा प्रतिवादी न0 6 का 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एवं काबिज एवं दखील है। वर्णित आराजीयात से गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है, लेकिन गैरसायलान भूमाफिया किस्म के असामाजिक व्यक्ति है जो सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि की डोल मेड तोडकर स्वंय की भूमि मे मिलाना चाहते है और सायलान एवं गैरसायलान के मध्य आये दिन विवाद बना रहता है जबकि गैरसायलान का सायलान की कब्जे की आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इस प्रकार गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैर सायलान को पाबन्द नही करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति नही है। जबकि गैरसायलान को पाबन्द नही करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2019 ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे। गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायल हरिमोहन तथा दावे के प्रतिवादी काडू पि0 रामसहाय द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की आराजी ख0न0 453 रकवा 0.15 है0 को दिनांक 14.5.1998 को 26000/– मे सम्पूर्ण हिस्से को बेचान कर स्टाम्प पेपर पर लिखा पढी करवाली बाद मे कब्जा संभलादिया गया। जिस पर खरीद के दिन से ही गैरसायलान काबिज है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है।सायलान प्रतिवादी काडू से क्रय की आराजी को गैरसायलान से छीनना चाहते है। मौके पर सायलान का कब्जा नही है। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम माचडी की जमाबन्दी सम्वत 2075–75 के खाता न0 201 मे कुल किता 24 कुल रकवा 4.28 है0 मे सायल न0 1 व 2 का 1/15 हिस्सा सायल न0 3 का 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। बकिया हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गैरसायलान दर्ज रिकार्ड खातेदार नही है गैरसायलान ने अपने जबाब व बहस मे केवल मात्र ख0न0 453 का उल्लेख किया है जो कि काडू पुत्र रामसहाय से सन 14.5.1998 मे क्रय करना बताया है। लेकिन गैरसायल ने क्रय संबंधी दस्तावेज पेश नही किया है परन्तु तहसीलदार की मौका रिपोर्ट मे गैरसा[illegible] कब्जे को दर्शाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष [illegible] प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे उभयपक्ष[illegible] पाबन्द किया जाता है कि वर्णित आराजीयात कुल किता 24 कुल रकवा 4.28 है0 मे मौके की यथास्थित बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:38 IST
Reason: SelfAttested